

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - दो

गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2025 (आषाढ़-26, 1947)

शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025 हेतु निर्धारित अशासकीय संकल्पों के लिये समय निर्धारण।

दिनांक 17 जुलाई, 2025 को सदन द्वारा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों को स्वीकृति दी गई तदनुसार निम्नलिखित अशासकीय कार्य के लिए उनके सम्मुख समय नियत किया गया है :-

क्र.	अशासकीय संकल्प क्र.	विषय	समय
1.	(क्रमांक - 07)	सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ में निवासरत भुंजिया विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के जिला गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद व पाण्डो जनजाति सरगुजा और और बलरामपुर जिलों में निवासरत जनजातियों जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति की केन्द्रीय सूची में शामिल किया जाए।" (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्रीमती अंबिका मरकाम)	30 मिनट
2.	(क्रमांक - 08)	सदन का यह मत है कि "प्रसंस्कृत अनाज (पक्का माल) के विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए।" (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : श्री अजय चन्द्राकर)	30 मिनट

दिनेश शर्मा
सचिव